



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 07 अगस्त, 2023

श्रावण 16, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 1178/36-03-2023-45(सा0)-2016

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प०आ०-427

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-II में निम्नलिखित श्रेणी की दुकान अथवा वाणिज्य अधिष्ठान का परिवर्धन करती है।

“17-सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाले अधिष्ठान”

आज्ञा से,
अनिल कुमार-III,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1178/XXXVI-03-2023-45(Sa.)-2016, dated August 07, 2023 :

No. 1178/XXXVI-03-2023-45(Sa.)-2016

Dated Lucknow, August 7, 2023

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 5 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhistan Adhinyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962) the Governor is pleased to exempt in public interest to add the following Shops and Commercial Establishments in Schedule-II of the above Act with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

17. Information Technology And Information Technologies Enabled Services Establishments.

By order,
ANIL KUMAR-III,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 474 राजपत्र-2023-(1594)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० श्रम-2023-(1595)-300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।